

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, गॉंधी मैदान पटना।
कार्यालय आदेश

संचिका संख्या खा0/पुर्न0/235/2016-17

उद्योग विभाग संकल्प ज्ञापांक संख्या-606 दिनांक- 20.02.2017 द्वारा खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत बिहार में स्थित खादी संस्था/समितियों को स्थिर (Fixed Capital) की सुदृढीकरण हेतु चरखा के अतिरिक्त करघा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त संकल्प के कंडिका-08 में उल्लेखित शर्त के अनुसार निम्नलिखित 07 संस्था/समितियों के द्वारा करघा क्रय करने हेतु 50% प्रतिशत रूपया 4,35,000.00 (चार लाख पैंतिस हजार रूपये) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	संस्था/समिति का नाम एवं पता	उपलब्ध कराये गये त्रिपुरारि मॉडल चरखा की संख्या	संकल्प के कंडिका 10 में उल्लेखित शर्त के अनुसार उपलब्ध कराये जाने वाले करघा की संख्या	संकल्प के कंडिका 11 में उल्लेखित शर्त के अनुसार प्रति करघा की निर्धारित कीमत	करघा की कुल कीमत (रु0 में)	संकल्प के कंडिका 07 में उल्लेखित शर्त के अनुसार स्वीकृत/भुगतेय राशि कीमत का 50 प्रतिशत राशि
1	मोकामा ग्राम स्वराज्य समिति, औंटा पटना।	15	3	30,000/-	90,000/-	45,000/-
2	नव विहार कल्याण प्रतिष्ठान केन्द्र, पावापुरी नालन्दा।	15	3	30,000/-	90,000/-	45,000/-
3	रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ, भागलपुर।	50	10	30,000/-	3,00,000/-	1.50.000/-
4	दरभंगा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, बिहटा रोड, पो0-लहेरिया सराय, दरभंगा।	20	04	30,000/-	1,20,000/-	60.000/-
5	स्वदेशी कंबल आश्रम अरफाबाद गुड की मंडी गुलजारवाग पटना 07	15	3	30,000/-	90,000/-	45,000/-
6	विकास समिति जमुई	15	3	30,000/-	90,000/-	45,000/-
7	ग्रामीण विकास संस्थान, रामपुर पो0-रामपुर, पण्डौल, जिला-मधुबनी।	15	3	30,000/-	90,000/-	45,000/-
कुल :-			29		8,70,000.00	4,35,000/-

3. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुनरुद्धार योजना मद में प्राप्त राशि से की जायेगी।
4. संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को निदेश है कि संकल्प ज्ञापांक संख्या-606 दिनांक-20.02.2017 के कंडिका 02 एवं 03 में दिये गये शर्तों के अनुसार ही करघा क्रय करेंगे।
- (i) करघा क्रय करने के लिए 90 (नब्बे) प्रतिशत अनुदान दी जायेगी तथा 10 (दस) प्रतिशत खादी संस्थाओं को स्वयं वहन करना होगा।
- (ii) करघा की गुणवत्ता (Specification) निम्न प्रकार होगी एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगी-
 - (क) करघा पुरा आयरन का बना हो।
 - (ख) करघा पैरों से चलने वाला (पैडल ऑपरेटेड) होना चाहिए, जिसकी बुनाई की शटल अपने आप चलती हो
 - (ग) करघा गियर पद्धति का हो।
 - (घ) करघा का अरज कम से कम 45 इंच एवं अधिक से अधिक 62 इंच का हो।
 - (ङ) करघा का कार्य क्षमता 8 घंटे में कम से कम 10 से 20 मीटर कपड़ा बुनने का हो।
5. खादी संस्थाएं अपने स्तर से क्रय के पूर्व करघा की गुणवत्ता एवं उपयोग से स्वयं संतुष्ट होंगे।
6. करघा कीमत की राशि खादी संस्था/समितियों के बैंक खाते में सीधे NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जायेगा। यह राशि क्रय के पहले 50 (पचास) प्रतिशत भुगतान किया जायेगा, शेष 50 (पचास) प्रतिशत का भुगतान करघा क्रय एवं उसे स्थापित किये जाने के बाद उसकी जाँच खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।
7. खादी संस्था/समितियों की जिम्मेवारी होगी कि उनके द्वारा क्रय किये गये करघा का संचालन एवं तकनीकी जानकारी अपने स्तर से आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करेंगे तथा 15 दिनों के अन्दर करघा क्रय कर बोर्ड को सूचित करेंगे अन्यथा 10 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि बोर्ड को वापस करना होगा।
8. करघा के क्रय स्थापना एवं संचालन से संबंधित सूचना खादी संस्थाओं द्वारा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

ज्ञापांक- 25/66

प्रतिलिपि :- उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

पटना, दिनांक-18/07/17

ज्ञापांक- 25/66

प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुनरुद्धार योजना सह अंकेक्षण) को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश है कि कटिया चरखा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में स्वीकृत राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

पटना, दिनांक-18/07/17

ज्ञापांक- 25/66

प्रतिलिपि :- उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र०)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुनरुद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुनरुद्धार योजना)/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

पटना, दिनांक-18/07/17

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- २६०/६६

पटना, दिनांक- १८/०७/२०१७

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी/पटना/नालन्दा/दरभंगा/भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- २६०/६६

पटना, दिनांक- १८/०७/२०१७

प्रतिलिपि :- जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जिला कार्यालय मधुबनी/पटना/नालन्दा/दरभंगा/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- २६०/६६

पटना, दिनांक- १८/०७/२०१७

प्रतिलिपि :- राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- २६०/६६

पटना, दिनांक- १८/०७/२०१७

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी